

‘प्रत्यक्ष वदेशी नविश’ अंतरवाह

प्रलिस के लयः

प्रत्यक्ष वदेशी नविश, उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन योजना

मेन्स के लयः

भारत में प्रत्यक्ष वदेशी नविश प्राप्त होने के वभिन्न रूट्स/रास्ते, प्रत्यक्ष वदेशी नविश प्राप्त के संदर्भ में सरकारी प्रयास

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार को वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान 35.73 बलियन अमेरिकी डॉलर का ‘प्रत्यक्ष वदेशी नविश’ (Foreign Direct Investment- FDI) प्राप्त हुआ है जो कसी वत्तीय वर्ष के पहले 5 माह में प्राप्त प्रत्यक्ष वदेशी नविश की उच्चतम मात्रा है।

प्रमुख बडुः

- पहली तमाही (अप्रैल-जून 2020) में **सकल घरेलु उत्पाद** (Gross Domestic Product- GDP) 23.9% रहने के बावजूद FDI प्रवाह में वृद्धि देखी गई है।
- **FDI में हालिया बढ़ोतरी:**
 - वर्ष 2019-20 (31.60 बलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में वर्ष 2020-21 के पहले 5 माह में 13% अधिक FDI (35.73 बलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त हुआ है।
 - FDI के कुल अंतरवाह में 55% की वृद्धि हुई जो वर्ष 2008-14 के 231.37 बलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2014-20 में 358.29 बलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
 - वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त माह के दौरान FDI इक्वटी प्रवाह (FDI के तीन घटकों में से एक) 27.10 बलियन अमेरिकी डॉलर रहा। जो वत्त वर्ष के पहले 5 माह के लिये FDI के इक्वटी प्रवाह की उच्चतम मात्रा है। साथ ही वर्ष 2019-20 के पहले पाँच माह (23.35 बलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 16% अधिक है।
 - सरकार द्वारा FDI नीति में सुधार करने, नविश नीति को सुगम बनाने इत्यादि मोर्चों पर किये गए उपायों के परिणामस्वरूप देश में FDI अंतरवाह की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।

UNCTAD द्वारा जारी **वशिव नविश रिपोर्ट** (World Investment Report), 2020 के अनुसार, वर्ष 2019 में सबसे अधिक FDI प्राप्तकर्त्ता देशों में भारत 9वें स्थान पर रहा।

FDI बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयासः

- वर्ष 2020 में इलेक्ट्रॉनिक वनरिमाण क्षेत्र के लिये **‘उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन’** (Production-Linked Incentive-PLI) जैसी योजनाओं को अधिकाधिक वदेशी नविश आकर्षित करने के लिये अधिसूचित किया गया है।
- वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा **कोयला खनन** गतविधियों में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत 100% FDI की अनुमति देने के लिये FDI नीति 2017 में संशोधन किया गया।
- इसके अलावा सरकार द्वारा **डजिटल क्षेत्र में 26%** FDI की अनुमति दी गई है। इस क्षेत्र में भारत में **अनुकूल जनसांख्यिकी, पर्याप्त मोबाइल एवं इंटरनेट उपभोक्ताओं** के उच्च FDI प्राप्त की संभावना वदियमान है, जो बड़े पैमाने पर **खपत एवं प्रौद्योगिकी** (Consumption Along with Technology) के साथ-साथ वदेशी नविशकों को भारत में एक शानदार एवं संभावनाओं से युक्त बाज़ार उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करता है।
- **वनरिमाण क्षेत्र** में पहले से ही 100% प्रत्यक्ष वदेशी नविश स्वचालित मार्ग के तहत हो रहा था, हालाँकि वर्ष 2019 में सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि **अनुबंध नरिमाण** (Contract Manufacturing) में संलग्न भारतीय संस्थाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% नविश की अनुमति है, बशर्ते किये नविश एक वैध अनुबंध के माध्यम से किया जाना चाहिये।

- **अनुबंध वनिरिमाण:** इसमें किसी अन्य फर्म के लेबल या ब्रांड के तहत किसी फर्म द्वारा माल का उत्पादन करना शामिल है।
- **वदिशी नविश सुवधि पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal-FIFP)** नविशकों को FDI की सुवधि देने के लिये भारत सरकार का एक ऑनलाइन एकल बट्टि इंटरफेस है। इसे 'उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संवर्द्धन वभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry) द्वारा प्रशासति कया जाता है।

प्रत्यक्ष वदिशी नविश में वृद्धिसे उम्मीदें:

- जैसा ही ट्रेन के नजि संचालन और हवाई अड्डों के नरिमाण के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया की अनुमति देने के सरकार के कदमों में वदिशी नविशकों द्वारा रुचि दिखिई गई। वैसे ही मार्च 2020 में सरकार द्वारा **अनवासी भारतीयों (Non-Resident Indians- NRIs)** को एयर इंडिया की **100%** हसिसेदारी प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है।
- **रक्षा वनिरिमाण (Defence Manufacturing)** जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार द्वारा मई 2020 में स्वचालति मार्ग के तहत **FDI** सीमा को **49% से बढ़ाकर 74%** कर दिया है, सरकार का यह कदम आगे भी बड़े नविश आकर्षति कर सकता है।

प्रत्यक्ष वदिशी नविश:

- FDI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश (मूल देश) के नवासी किसी अन्य देश (मेज़बान देश) में एक फर्म के उत्पादन, वतिरण और अन्य गतिविधियों को नयित्तरति करने के उद्देश्य से संपत्तिका स्वामतिव प्राप्त करते हैं।
 - यह **वदिशी पोर्टफोलियो (Foreign Portfolio Investment-FPI)** नविश से भनिन है, इसमें वदिशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है लेकिन यह FPI नविशक को व्यवसाय पर नयित्तरण का अधिकार नहीं प्रदान करता है।
- FDI के प्रवाह में शामिल पूंजी किसी उद्यम के लिये एक वदिशी प्रत्यक्ष नविशक द्वारा (या तो सीधे या अन्य संबंधति उद्यमों के माध्यम से) प्रदान की जाती है।
- FDI में **तीन घटक- इक्विटी कैपिटल (Equity Capital), पुनर्नविशति आय (Reinvested Earnings) और इंद्रा-कंपनी लोन (Intra-Company Loans)** शामिल हैं।
 - **इक्विटी कैपिटल** वदिशी प्रत्यक्ष नविशक की अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के उद्यम के शेयरों की खरीद से संबंधति है।
 - **पुनर्नविशति आय** में (प्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी के अनुपात में) प्रत्यक्ष नविशकों द्वारा की गई कमाई शामिल होती है जिससे किसी कंपनी के सहयोगियों (Affiliates) द्वारा लाभांश के रूप में वतिरति नहीं कया जाता है या यह कमाई प्रत्यक्ष नविशक को प्राप्त नहीं होती है।
 - **इंद्रा-कंपनी लोन** या लेन-देन में प्रत्यक्ष नविशकों (या उद्यमों) और संबद्ध उद्यमों के बीच अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार और नधियों का उधार शामिल होता है।

भारत में FDI आने का मार्ग:

- **स्वचालति मार्ग (Automatic Route):** इसमें वदिशी संस्था को सरकार या RBI की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सरकारी मार्ग (Government Route):** इसमें वदिशी संस्था को सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है।
 - **वदिशी नविश सुवधि पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal- FIFP)** उन आवेदनों (Applications) को 'एकल खड्कि नकिसी' (Single Window Clearance) की सुवधि प्रदान करता है जो **अनुमोदन मार्ग (Approval Route)** से प्राप्त होते हैं।

आगे की राह:

प्रत्यक्ष वदिशी नविश (Foreign Direct Investment-FDI) आर्थिक वकिस का एक प्रमुख प्रेरक बल है तथा भारत के आर्थिक वकिस के लिये गैर-ऋण वक्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत भी। अतः एक मज़बूत एवं आसानी से सुलभ होने वाला FDI सुनिश्चति कया जाना चाहिये।

इस प्रकार महामारी के बाद की अवधि में आर्थिक वकिस तथा भारत का बाज़ार देश में बड़े नविशों को आकर्षति करेगा।

स्रोत: द हट्टि